न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/50/2019	21–10–2019	03–03–2020

1– कैलाश पुत्र श्री कजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1– रामजीलाल पुत्र श्री कजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
2– महेश चन्द पुत्र श्री कजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
3– उपपंजीयक राजगढ़ जिला अलवर राज0।
4– तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राज0।
5– उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री आशीष खण्डेलवाल –वकील प्रार्थी
02. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल वकील अप्रार्थीगण सं01 व 2

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी राजगढ के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी कैलाश बनाम रामजीलाल को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के यहां पर एक वाद बउनवान कैलाश बनाम रामजीलाल विचाराधीन है। प्रतिवादी/अप्रार्थी रामजीलाल बहुत लडाकू एवं खूखांर व्यक्ति है जो विवादित आराजी में जबरन प्रवेश करना चाहता है तथा प्रार्थी को अपने आराजी के उपयोग व उपभोग में मजाहमत पैदा कर रहा है। वाद काफी समय से अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जिसका आज तक भी निस्तारण नहीं हो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

पाया है। मिन प्रार्थी को अप्रार्थी/प्रतिवादी रामजीलाल धमकी देता है कि मेरी पहुंच उपर तक है और मैं तेरे हक में फैसला होने नहीं दुंगा और जैसा मैं चाहूंगा वैसा अपने हक में फैसला करा लूंगा। जिस कारण प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कतई उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन वाद उनवान कैलाश बनाम रामजीलाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि अप्रार्थी जबरन विवादित आराजी में प्रवेश करना नहीं चाहता है बल्कि अप्रार्थी का उक्त आराजी पर शुरू से ही कब्जा है। कुर्रेजात रिपोर्ट दि0 06.06.2017 के मुताबिक भी उक्त आराजी प्रार्थी के हिस्से में दी गई है। स्वंय प्रार्थी ही इस वाद को लम्बा चलाना चाहता है। मुताबिक राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दि0 18.07.2018 के पुनः मौका जांच दि0 19.08.19 की प्रस्तुत हो चुकी है परन्तु प्रार्थी ही वाद का निर्णय करने में अवरोध पैदा कर रहा है। प्रार्थी द्वारा मनगढंत तथ्य दर्ज किए है। अप्रार्थी की उपर तक पहुंच कैसे व किस माध्यम से है, दर्ज नहीं है। न्याय की उम्मीद नहीं होने का कारण भी दर्ज नहीं है तथा बउनवान कैलाश बनाम रामजीलाल का वाद न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ़ के यहां विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रा0पत्र धारा 24 जाब्ता दीवानी के अंतर्गत नहीं आता है, राज0 टिनेन्सी एक्ट में अलग से प्रावधान है, इसलिए सुनवाई योग्य नहीं है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर माननीय न्याया0 राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 18.07.18 से रिमाण्ड होकर दि0 17.09.18 को पुनः प्राप्त हुआ। माननीय न्याया0 राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की पालना में तहसीलदार राजगढ़ से जांच रिपोर्ट तलब की गई तथा न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थी रामजीलाल प्रार्थी को धमकी देता हो इससे कार्यालय का संबंध नहीं है तथा शेष तथ्य प्रार्थी द्वारा मनगढंत व निराधार प्रतीत होते है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में पक्षकारान व वकुलाय की उपस्थिति में न्यायिक प्रक्रिया तहत कार्यवाही की जाती है यदि उक्त प्रकरण के निस्तारण बाबत प्रार्थी न्याया0 से असंतुष्ट है और प्रकरण को इस न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में मुंतकित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण मान. न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर से रिमाण्ड होकर दि. 17.09.2018 को प्राप्त हुआ है। जिसे प्राप्त हुए करीब 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा भी प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में विचाराधीन प्रकरण कैलाश बनाम रामजीलाल

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उभय–पक्षकारान् को निर्देशित किया जाता है कि वो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में पैरवी हेतु आगामी दिनांक 03.05.2020 को उपस्थित होवें एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03–03–2020 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)